

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7 (108) परि/नियम/मु./94/13932

दिनांक : 23.11.2012


कार्यालय आदेश संख्या 12/2012

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय : मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.06.89, 22.04.91, 15.07.94, 06.08.96, 29.05.97, 25.11.97, 05.06.99, 18.08.99 एवं 22.11.2005 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों के पंजीयन अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य की वाहनों को पंजीयन हेतु आवंटित शब्द समूह आर.जे. के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड आवंटित किये जाते हैं -

क्रमांक	कार्यालय	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन कोड
1	जिला परिवहन कार्यालय, आबू रोड़, जिला सिरोही	पंजीयन अधिकारी, आबू रोड़	38
2.	जिला परिवहन कार्यालय, बालोतरा, जिला बाडमेर	पंजीयन अधिकारी, बालोतरा	39
3.	जिला परिवहन कार्यालय, भिवाड़ी, जिला अलवर	पंजीयन अधिकारी, भिवाड़ी	40
4.	जिला परिवहन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर	पंजीयन अधिकारी, चौमूं	41
5.	जिला परिवहन कार्यालय, किशनगढ़, जिला अजमेर	पंजीयन अधिकारी, किशनगढ़	42
6.	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी, जिला जोधपुर	पंजीयन अधिकारी, फलौदी	43
7.	जिला परिवहन कार्यालय, सुजानगढ़, जिला चूरू	पंजीयन अधिकारी, सुजानगढ़	44
8.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर, (उत्तर)	पंजीयन अधिकारी, जयपुर (उत्तर)	45


परिवहन आयुक्त एवं
अति. मुख्य सचिव